बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

कार्यालय आदेश संख्या–03/योजना–14/2001–पार्ट 5863 पटना, दिनांक– 19/11/2013

ओवरलोड एवं अनियमित वाहनों विशेषकर ओवरलोड मालवाहकों के परिवहन चेकपोस्ट, महात्मा गाँधी सेतु उत्तरी भाग, टॉल प्लाजा, हाजीपुर (वैशाली) स्थान पर जाँच/रोकथाम और तत्क्रम में सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार पदाधिकारियों की दिवस वार/पाली वार प्रतिनियुक्ति की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्य दिवस	प्रथम पाली (6.00 AM to 2.00 PM) में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	द्वितीय पाली (2.00 PM to 10.00 PM) में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	तृतीय पाली (10.00 PM to 6.00 AM) में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
1	सोमवार	..जय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर। 9631326276	संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई। 9931517675	1. अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद। 9631608996 2. मो0 मुर्तुजा, प्रवर्त्तन निरीक्षक, बेगुसराय। 9431433566
2	मंगलवार	विनोद कुमार सिंह मोटरयान निरीक्षक, नवादा। 8987066689	विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, छपरा। 9661001259	1 राजीव रंजन, मोटरयान निरीक्षक, समस्तीपुर। 9431067838 2 श्याम नंदन प्रसाद, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, पटना। 9331348080
3	बुधवार	अरूण कुमार,, मोटरयान निरीक्षक, नालंदा। 9635146995	संजय कुमार अस्क, मोटरयान निरीक्षक, पटना। 933416481·	1 सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया। 9708346206 2 मो0 मुर्तुजा, प्रवर्त्तन निरीक्षक, बेगुसराय। 9431433566
4	वृहस्पतिवार	संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई 9931517675	दिव्य प्रकाश, मोटरयान निरीक्षक, सीवान। 9576027299	1. अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद। 9631608996

				2 राजेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, औरंगाबाद। 9631703435
5	शुक्रवार	विनोद कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, नवादा। 8987066689	राजीव रंजन, मोटरयान निरीक्षक, समस्तीपुर। 9431067838	1 अमिताभ कुमार, मोटरयान निरीक्षक, पटना। 9708346206 2 श्याम नंदन प्रसाद, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, पटना। 9931348080
6	शनिवार	अरूण कुमार, मोटरयान निरीक्षक, नालंदा। 9835146995	अर्चना कुमारी, मोटरयान निरीक्षक, वैशाली। 9431490298	निशांत कुमार, मोटरयान निरीक्षक, गोपालगंज। 9431291140 2 मो0 मुर्तुजा, प्रवर्त्तन निरीक्षक, बेगुसराय। 9431433566
7	रविवार	अजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर। 9631326276	दिव्य प्रकाश, मोटरयान निरीक्षक, सीवान। 9576027299	विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, छपरा। 9631001259 2 श्याम नंदन प्रसाद, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, पटना। 9931348080

2. श्री संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई, तत्काल से अगले आदेश तक परिवहन चेकपोस्ट हाजीपुर पर सुरक्षित के रूप में प्रतिनियुक्त रह कर यथानिदेशित कार्य करेंगे। इनका उपस्थिति विवरणी जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा दी जायेगी.

3. उल्लिखित प्रत्येक पाली में पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सशस्त्र आरक्षी बल में से 2–8 सशस्त्र आरक्षी बल एवं दो अवर निरीक्षक कोटि के पुलिस पदाधिकारी तथा SIS द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्योरिटी एजेंसी गार्ड में से सोलह गार्ड तथा एक सुपरभाइजर एवं बेलट्रॉन से उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री ऑपरेटर और आउटसोर्सिंग के आधार पर सफाई कर्मी/अनुसेवी कोटि के कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे। जिला परिवहन कार्यालय वैशाली अन्तर्गत पदस्थापित लिपिक श्री शशि भूषण शाही चेकपोस्ट के प्रभारी लिपिक का कार्यभार संपादित करेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री अरविन्द प्रसाद लिपिक कार्य करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली अपने स्तर से प्रतिनियुक्त लिपिकों एवं ऑपरेटरों का रोस्टर निर्धारित करेंगे तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना अपेक्षित सहयोग करेंगे।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी एवं उपलब्ध बल उक्त स्थान पर एवं संलग्न परिक्षेत्र में उल्लिखित रोस्टर के मुताबिक वाहन जाँच एवं इससे सम्बद्ध कार्य इस प्रकार करेंगे कि जाँच कार्य निरतंर

चलता रहे। सभी पदाधिकारी रोस्टर अनुसार दैनिक रूप से किए गए ओवरलोडेड वाहनों की जाँच एवं कृत कार्य का प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली को देंगे एवं वे इससे अधोहस्ताक्षरी को साप्ताहिक रूप से अवगत करायेंगें।

5. उक्त जाँच स्थान पर पालीवार प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं आरक्षी बल तथा सहयोगी कर्मी एक साथ एक दल के रूप में जाँच कार्य करेंगे। किसी समस्या के होने पर जाँच दल के सभी पदाधिकारी एवं उपलब्ध बल तथा कर्मी संयुक्त एवं त्वरित रूप से कार्य करेंगे।

6. प्रत्येक पाली में प्रतिनियुक्त परिवहन विभागीय जाँच पदाधिकारी शिफ्ट प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे तथा आगामी पाली के प्रतिस्थायी परिवहन विभागीय पदाधिकारी के कर्त्तव्य पर आगमन के पश्चात ही ड्यूटी से प्रस्थान करेंगे।

7. अपरिहार्य परिस्थितिवश अथवा उपर्युक्त किसी पदाधिकारी के अवकाश में रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप निम्नानुसार स्तम्भ दो में उल्लिखित नाम के सम्मुख के पदाधिकारी एक--दूसरे के प्रतिस्थानी के रूप में कार्य करेंगे:--

क्रमांक	आपसी प्रतिस्थानी पदाधिकारीगण	
1	2	3
1	अजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर।	विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, छपरा।
2	संजय कुमार अस्क, मोटरयान निरीक्षक, पटना।	अमिताभ कुमार, मोटरयान निरीक्षक, पटना।
3	निशांत कुमार, मोटरयान निरीक्षक, गोपालगंज	दिव्य प्रकाश, मोटरयान निरीक्षक, सीवान
4	विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, छपरा।	अर्चना कुमारी, मोटरयान निरीक्षक, वैशाली।
5	विनोद कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, नवादा।	अरूण कुमार, मोटरयान निरीक्षक, नालंदा।
6	मो0 मुर्तुजा खान, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, पटना।	श्याम नंदन प्रसाद, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, पटना।
7	राजीव रंजन, मोटरयान निरीक्षक, समस्तीपुर।	अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद।
8	सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया।	संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई।
9	राजेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, औरंगाबाद।	मो0 मुर्तुजा खान, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बेगुसराय।

8. जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली के बिना लिखित पूर्वानुमति के उक्त में से कोई पदाधिकारी जाँच कार्य को नहीं छोड़ेंगे और न ही अवकाश अथवा अन्य कार्य के लिए प्रस्थान करेंगे।

9. उपर्युक्त पदाधिकारी उक्त परिवहन चेकपोस्ट पर अपने कार्यावधि में नियमानुसार वाहनों की जब्ती विशिष्ट रूप से कर्णांकित निरंतर सीजर संग्रहित राशि का लेखा एक विशिष्ट रूप से कर्णांकित निरंतर सीजर बुक (Running Seizure Book) में करेंगे तथा सुग्रहित राशि का लेखा विशिष्ट रूप से कर्णांकित निरंतर मनी रसीद बुक (Running MR Book) में रखेंगे तथा संग्रहित राशि का अविलम्ब जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) के अन्तर्गत जमा करेंगे।

10. जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली उक्त परिवहन चेकपोस्ट, हाजीपुर (वैशाली) के नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना इस चेकपोस्ट के कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग करेंगे।

11. उक्त **चेकपोस्ट** जिला पदाधिकारी वैशाली के नियंत्रण में रहेगी एवं सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उनके **निर्देश के अनुसार** कार्य करेंगे। जिला पदाधिकारी, वैशाली आवश्यकतानुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 अन्तर्गत **शक्ति** पदत्त बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उपसमाहर्त्ताओं को उक्त चेकपोस्ट पर वाहन जाँच तथा **पर्यवेक्षण** आदि कार्य निमित्त प्रतिनियुक्त करने की कृपा करेंगे। जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं पुलिस **अधीक्षक** वैशाली से आग्रह है कि संबंधित थानाध्यक्षों/स्थानीय पुलिस प्रशासन को वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु निदेशित करेंगे।

यह आदेश दिनांक–21.11.2013 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

(हस्ताक्षर) 19/11/13
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 5863 पटना, दिनांक 19/11/2013

प्रतिलिपि:– 1. प्रधान सचिव, खनन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निमार्ण विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पटना/वैशाली/मुजफ्फरपुर/छपरा/सीवान नालंदा/समस्तीपुर/जमुई/खगड़िया/औरंगाबाद/बेगुसराय एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना/सारण प्रमंडल छपरा/मगध प्रमंडल गया/ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर एवं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

4. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/वैशाली/मुजफ्फरपुर/छपरा/ सीवान/ नालंदा/ नवादा/समस्तीपुर/जमुई/खगड़िया/औरंगाबाद/बेगुसराय एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/11/13
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।